भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1023

उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**फर्जी शिक्षा बोर्ड**

1023. श्रीमती रानी नाराहः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में फर्जी शिक्षा बोर्ड (विश्वविद्यालयों के अलावा) चल रहे हैं, और

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन फर्जी बोर्डों को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान फर्जी बोर्ड चलाने वाले कितने लोगों को जेल भेजा गया है; और

(घ) दिल्ली में कार्यशील फर्जी शिक्षा बोर्डों का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) से (घ): मानव संसाधन विकास मंत्रालय, चलाये जा रहे जाली बोर्डों और ऐसे बोर्डों का शिकार हुए विद्यार्थियों से संबंधित आकंड़े अपने पास नहीं रखता है। तथापि, एमएसआरडी ने सभी राज्‍यों और संघ शासित राज्‍यों को जाली शिक्षा बोर्डों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 20.11.2008 को निदेश जारी किये थे। शिक्षा, संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के नाते, अधिकांश शिक्षा बोर्ड संबंधित राज्‍य सरकारों के प्रशासनिक नियत्रंण में आते हैं और यह उन पर है कि वे अपने राज्‍य में ऐसे शिक्षा बोर्डों की गतिविधियों को नियंत्रित करें।

**\*\*\*\*\***